रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936
No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 80(अ).—राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (1982 के 43) की धारा 13 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतदद्वारा राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 को आगे और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्;

1. (1) इन नियमों का नाम राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2015 होगा ।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार नियम, 1987 में, नियम 11 में,-

(क) उप-नियम 8 में, खण्ड (ख) में, परंतुक के बाद और व्याख्या से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा:-

''बशर्ते यह भी कि-

(i) भारत के भीतर प्राइवेट दौरे करने से पूर्व, राज्यपाल राष्ट्रपति का अनुमोदन मांगेगा और ऐसे कोई भी पत्र, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, कम से कम दो सप्ताह पहले राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा जाएगा।

(ii) यदि प्राइवेट दौरा विदेश में किया जाना हो, उक्त आशय का पत्र कम से कम छ: सप्ताह पहले राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा जाएगा।

(iii) राज्यपाल किसी विदेशी दौरे अथवा अपने राज्य के बाहर घरेलू दौरे, जैसा भी मामला हो, के लिए अपने राज्य को, आपात अथवा असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, राष्ट्रपति का विधिवत अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही छोड़ेगा;

(iv) आपात अथवा असाधारण परिस्थितियों के मामले में, कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने के शीघ्र बाद राष्ट्रपति सचिवालय को सूचित किया जाएगा और इस प्रकार की सूचना में उन परिस्थितियों और बाध्यकारी कारणों का ब्यौरा होगा कि दौरे के लिए पूर्व अनुमति

प्राप्त करना क्यों संभव नहीं था और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव राज्यपाल के प्रस्थान से पूर्व राष्ट्रपति को भेजा जाएगा;"

(ख) उप-नियम (12) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(13) राज्यपाल द्वारा अपने राज्य से बाहर किसी भी दौरे को निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) राज्य से बाहर सरकारी दौरों के मामले में,-

(i) राज्य के बाहर सभी दौरे केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही किए जाएंगे और ऐसा अनुमोदन मांगे जाने संबंधी कोई पत्र राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा जाएगा ।

(अ) सामान्यत:, ऐसे किसी दौरे को आरम्भ किए जाने से **कम से कम 7 दिन** पहले; और

(ब) आपात परिस्थितियों में, ज्योंही दौरा कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाता है;

(ii) राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अथवा आपात या असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति सचिवालय को सूचना दिए बिना कोई भी दौरा नहीं किया जाएगा;

(iii) आपात अथवा असाधारण परिस्थितियों के मामले में, सूचना में ऐसी परिस्थितियों और बाध्यकारी कारणों का ब्यौरा होना चाहिए कि दौरे के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना क्यों संभव नहीं हो पाया और ऐसी परिस्थितियों में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव राज्यपाल के दौरे हेतु प्रस्थान से पहले राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा जाएगा ।

(iv) दौरों के लिए अनुमति मांगते समय, अन्तत: निश्चित किए गए कार्यों और कार्यक्रमों, जिनके लिए अनुमति मांगी जा रही हो, का ब्यौरा इस आशय के पत्रों में स्पष्ट रूप से मदवार दर्शाया जाना चाहिए।

(v) राज्यपाल के ऐसे दौरों की अवधि किसी कैलेन्डर वर्ष में कुल दिनों की 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।

(ख) <u>किसी सरकारी विदेशी दौरे के मामले में</u>

(i) विदेशी दौरे करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मांगे जाने संबंधी पत्र कम से कम छ: सप्ताह पहले राष्ट्रपति के सचिवालय में प्राप्त हो जाना चाहिए;

(ii) विदेशी दौरे के दौरान कार्यों का ब्यौरा इस आशय के पत्रों में स्पष्ट रूप से मदवार दर्शाया जाना चाहिए ।

(iii) राज्यपाल, विदेशी दौरा करने से पूर्व विदेशी अभिदाय विनियम अधिनियम के अंतर्गत अनापत्ति (एफ सी आर ए अनापत्ति) तथा राजनैतिक अनापत्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा;

(iv) राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के विधिवत् अनुमोदन के बाद ही राज्य से बाहर जाएंगे ।

(ग) राष्ट्रपति द्वारा एक बार अनुमोदित कर दिए गए दौरे के कार्यक्रम में सामान्यत: संशोधन नहीं किया जाएगा, किंतु असाधारण अथवा आपात परिस्थितियों में कार्यक्रम में किसी संशोधन के मामले में, संशोधित कार्यक्रम के लिए अनुमोदन यथाशीघ्र तथा किसी भी स्थिति में अपने राज्य से राज्यपाल के प्रस्थान से पूर्व राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा जाएगा।

(घ) खंड (क), (ख) और (ग) में निहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त,-

(i) दौरे के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मांगे जाने के बारे में पत्रों की प्रतियां प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और गृह-मंत्री को भी पृष्ठांकित की जाएं;

(ii) अपने गृह राज्य के बार-बार दौरों से बचा जाए अथवा सीमित रखा जाए।"

[फा. सं. 7/31/2014-एमएंडजी]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, दिनांक 30 मार्च 1987 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उन्हें दिनांक 29 मई 1987 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 01 फरवरी 1989 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 70(अ), दिनांक 30 जुलाई 1990 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 15 फरवरी 1991 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.64(अ), दिनांक 28 दिसंबर 1992 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 949(अ), दिनांक 11 मार्च 1993 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 16 नवंबर 1993 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 708(अ), दिनांक 23 मई 1994 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 475(अ), दिनांक 06 जुलाई 1995 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 538(अ), दिनांक 17 जून 1997

की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 01 अप्रैल 1998 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 166(अ), दिनांक 23 अक्तूबर 2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 832(अ), दिनांक 26 सितम्बर 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 696(अ), दिनांक 22 नवंबर, 2002 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 31 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 08 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 506(अ), दिनांक 10 फरवरी 2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 87(अ), दिनांक 31 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 288(अ), दिनांक 21 जुलाई 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 518(अ), दिनांक 11 नवंबर 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 788 (अ) द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2015

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 13 of the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 (43 of 1982), the President hereby makes the following rules further to amend the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Governors (Allowances and Privileges) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, in rule 11,—

(a) in sub-rule 8, in clause (b), after the proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided further that -

(i) before undertaking private visits within India, the Governor shall seek approval of the President and any communication for such approval shall be forwarded to the President's Secretariat at least two weeks in advance, except in exceptional circumstances;

(ii) where such private visit is to a foreign country, the communication shall be forwarded to the President Secretariat at least six weeks in advance;

(iii) the Governor shall leave the State for any foreign visit or, as the case may be, domestic visit outside his State only after receiving due approval of the President except in emergent or extraordinary circumstances;

(iv) in the case of emergent or extraordinary circumstances, the President's Secretariat shall be intimated as soon as the programme is finalised and such intimation shall contain details of the circumstances and compelling reasons why it was not possible to obtain prior permission for the visit and the proposal for according ex-post facto approval shall be forwarded to the President before the departure of the Governor.”;

(b) after sub-rule (12), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(13) Any visit by the Governor outside his State shall be regulated in the following manner, namely :—

(a) in case of official visits outside the State,-

(i) all visits outside the State shall be undertaken only with the prior permission of the President and any communication soliciting such approval shall be forwarded to the President's Secretariat-

(A) in the normal course, at least seven days before the commencement of any such visit; and

(B) in emergent circumstances, as soon as the programme is finalised;

(ii) no visits shall be undertaken without obtaining the prior permission of the President or in emergent or extra-ordinary circumstances, without prior intimation to the President's Secretariat;

(iii) in case of emergent or extraordinary circumstances, the intimation shall contain details of the circumstances and the compelling reasons why it was not possible to obtain prior permission for the visit, and proposal for according ex-post facto approval shall be forwarded to the President's Secretariat before the departure of the Governor;

(iv) while permission is sought for visits, the details of the finalised engagements and the programmes for which the permission is sought may be clearly itemised in the communications;

(v) the duration of such visits of the Governor shall not exceed twenty percent of the days in a calendar year;

(b) in case of any official foreign visit,-

(i) the communication seeking approval of the President for undertaking such foreign visits shall be received in the President's Secretariat at least six weeks in advance;

(ii) the details of engagements during the foreign visit shall be clearly stated and itemised in the communication;

(iii) the Governor shall invariably obtain clearance under the Foreign Contributions Regulation Act (FCRA clearance) and Political clearance before undertaking the foreign visit;

(iv) the Governor shall leave the State only after due approval of the President;

(c) the schedule of the visit once approved by the President shall not ordinarily be revised, but in case of any revision in the schedule in extra-ordinary or emergent circumstances, the approval for revised programme shall be forwarded to the President's Secretariat as soon as possible and in any case, before the departure of the Governor from his State;

(d) in addition to the requirements contained in clauses (a), (b) and (c),—

(i) copies of all communications soliciting the approval of the President for visits shall also be endorsed to the Principal Secretary to the Prime Minister and to the Home Minister;

(ii) frequency of visits to the home State shall be avoided or limited."

[F. No. 7/31/2014-M&G]

KUMAR ALOK, Jt. Secy.

Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 343(E), dated the 30th March, 1987 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 532(E), dated the 29th May, 1987; G.S.R. 70(E), dated the 1st February, 1989; G.S.R. 675(E), dated the 30th July, 1990; G.S.R. 64(E), dated the 15th February, 1991; G.S.R. 949(E), dated the 28th December, 1992; G.S.R. 275(E), dated the 11th March, 1993; G.S.R. 708(E), dated the 16th November, 1993; G.S.R. 475(E), dated the 23rd May, 1994; G.S.R. 538(E), dated the 6th July, 1995; G.S.R. 326(E), dated the 17th June, 1997, G.S.R. 166(E), dated the 1st April, 1998; G.S.R. 832(E), dated the 23rd October, 2000, G.S.R. 696(E), dated the 26th September, 2001, G.S.R. 781(E), dated the 22nd November, 2002, G.S.R. 193(E), dated the 31st March, 2006, G.S.R. 506(E), dated the 8th July, 2008, G.S.R. 87(E), dated the 10th February, 2009, G.S.R. 288(E), dated the 31st March,2011, G.S.R. 518(E), dated the 21st July, 2014 and G.S.R. 788(E), dated the 11th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.